न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—99/19 दायर दिनांक:— 19.07.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00201

1. रामरूप पुत्र खूबी जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
2. नरेश पुत्र खूबी जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
3. जगदीश पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
4. मूलचन्द पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
5. बिजेन्द्र पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
6. अमरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
7. देवीसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
8. भगवानसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
9. लखन पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
10. सीताराम पुत्र भब्बू जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
11. बबली पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
12. पदम पुत्र शिब्बू जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
13. बहोरी पुत्र दौजी जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
14. महेन्द्र पुत्र दौजी जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
15. श्यामा पुत्र फौजी जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
16. हरि पुत्र शिब्बू जाति जाट निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.

——वादीसायल

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र गिलहारया जाति जाटव निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
2. मिथलेश बेवा भरतलाल जाति जाटव निवासी गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.

——प्रतिवादीगण गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित —1. श्री एस.एल.चौधरी अधि[illegible]

2.श्री अशोक [illegible] अधिवक्ता [illegible]

निर्णय दिनांक 27.3.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आराजी खसरा न0 1921 रकबा 1.38 है0 स्थित गांव लहचौड़ा तहसील हिण्डौनसिटी सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। आराजी मुतजिक्रा पद न0 2 प्रार्थना पत्र में वादी स0 1 व 2 1/12 हिस्से के जो उनके मृतक पिता खूबीराम के नाम दर्ज है व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन [illegible]

वादी न0 1 व 2 उसके लीगल वारिसान है। वादी न0 3 ता 11 का 1/8 हिस्से के जो उनके मृतक पुरखा जगन पुत्र बत्तू के नाम दर्ज है व सायलान उनके लीगल वारिसान है। सायल न0 12 1/6 का सायलान 13 1/12, का सायल न0 14 1/12 हिस्से का सायल न0 15 1/2 हिस्से का व सायल न0 16 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में सायलान के खातेदारी में नाम दर्ज है तथा सभी खातेदारान संयुक्त रूप से उक्त आराजी पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज व दखील है। इसलिए सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र गैर मुमकिन नदी से सही हुई है तथा गैर मुमकिन नदी से सही होने के कारण रेतीली भूमि है जिसमें वर्षाती फसल के अलावा अन्य फसल पानी के अभाव में नहीं होती है लेकिन सम्मिलित रूप से अपनी भूमि को चारों तरफ से डौलमेट से महदूद कर रखा है व वर्षा होने पर सायलान द्वारा सम्मिलित रू॰ से बाजरे की फसल काश्त की गयी है।

आराजी मुद्रिका मद न0 2 प्रार्थना पत्र गैरसायलान व अन्य जाटव समाज के लोगों की आबादी के नजदीक आ जाने के कारण उक्त भूमि की बाजारू मूल्य काफी बढ गया है जिसके कारण गैरसायलान के मन में उक्त भूमि को हडपने के बदयान्ति उत्पन्न हो गयी है। गैरसायलान काफी दिनों से उक्त भूमि को हडपने के प्रयास में है। अपने उक्त अवैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए गैरसायलान ने दिनांक 15.06.2019 को सांय के करीब 4–5 बजे सायलानल की भूमि के उत्तरी दिशा में कुछ पत्थर लाकर डाल दिये। सायलान ने उनसे भूमि मुतदाविया में पत्थर डालने के लिए मना किया तो गैरसायलान ने गाली गलोच की तथा मारपीट करने पर उतारू हुए व कहने लगे कि ज्यादा बकवास की तो झूठे धारा 3 एससी एसटी एक्ट व धारा 376 जैसे संगीन मुकदमों में फंसा देंगे व जमानत तक नहीं होने देंगे। सायलान द्वारा उक्त आशय का एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डौन को उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार हिण्डौन सिटी ने मौके की रिर्पोट लाने के लिए पटवारी हल्का को नियुक्त किया लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की तत्पश्चात दिनांक 16.06.2019 को गैरसायल स0 1 व 2 ने भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र उत्तरी कोने में 3 गेह पाटोर पोर्सन डाल दी तथा सायलानल के मना करने के बावजूद करीब 2 गेह पाटोर डालने के उद्देश्य से व अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से पत्थर डाल दिये है जिसके सम्बन्ध में सायलान द्वारा पुलिस थाना सदर, हिण्डौन में रिर्पोट पेश की गयी है जो अभी तक दर्ज नहीं की है जिससे गैरसायलान के होंसले और बढ़ गये है तथा वे अपनी वेजा हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

दिनांक 20.06.2019 का है कि गैरसायलान सायलान की उक्त भूमि पर आ धमके तथा सायलान की उक्त भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र के उत्तरी दिशा में स्थित सायलान की सीमा के अन्दर अपनी मवेशी बांध दी व अस्थायी रहने के लिए एक झोपडी डाल दी तथा पशुओं के चारा के लिए एक गोहफा तूडे का बना दिया तथा 6 ईंट रखकर अस्थायी चुल्हा बना दिया। सायलान मौके पर पहुँचे तथा सायलान ने गैरसायलान से अपनी उक्त भूमि से अपनी गाय भैंस झोपडी व पाटोर तथा गोहफा हटाने को कहा तो गैरसायलान अत्यधिक नाराज हो गये तथा अपना उक्त सामान हटाने से इंकार कर दिया तथा उन्होनें सायलान को एलानिया धमकी दी कि वे उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कनके पुख्ता निमार्ण करेंगे यदि सायलान ने रोकने का प्रयास किया तो भूमि मुतदाविया में गड्डे खोदकर उसे नाकाबिल काश्त बना दें[illegible] जबरन बसा देगें तथा सायलान को बेदखल कर दीगर लोगों का कब्जा करा देगें। [illegible] अपनी उक्त हठधर्मी पर आमादा है। यदि गैरसायलान ने सायलान की [illegible] लिया या भूमि को नाकाबिल काश्त बना दिया सायलान को बेदखल कर अन्य [illegible] कब्जा करा दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है।

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने में कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है जबकि पाबंद न किये जाने में सायलान को अत्यधिक क्षति है जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में होना संभव नहीं है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु पूरी तरह से साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:54:39 IST
Reason: SelfAttested

218112

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि दौरान दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान को पाबंद फरमाया जावै किवे सायलान की भूमि खसरा न0 1921 रकबा 1.38 है0 बाके ग्राम लहचौडा पर किसी प्रकार का कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य के द्वारा करावे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के अधिकारों को कुठाराघात पहुँचे मौके की स्थिति यथावत कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान की तलवी हेतू सम्मन जारी किये गये गैरसायलान की वाद तामील नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये, गैरसायलान की ओर से श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण मे गैरसायलान अधिवक्ता को जबाव पेश करने हेतु कई अवसर देने के बाबजूद प्रकरण मे जबाव पेश नही करने पर आदेशिका दिनांक 21.7.22 द्वारा प्रकरण जबाव बंद कर दिया गया , प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की भूमि से गैरसायलान का संलग्न दस्तावेजों जमावंदी संवत 2070–73 के, खाता संख्या 166 के आधार पर कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है, तथा उभयपक्ष की दौरानेदावा पेचीदिगियां पैदा नहीं हो, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 19.7.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ता फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की यथास्थिति ता फैसला बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 22.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22/3/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested